भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1380
दिनांक 09.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

हूती संगठन को आतंकवादी घोषित करना

1380. श्री मनीष तिवारी:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का यमन में मौजूद हूती उग्रवादी समूह को आतंकवादी संगठन घोषित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार यमन में मौजूद हूती उग्रवादियों को वस्तुतः/विधितः एक ऐसी शासन–व्यवस्था के रूप मे मान्यता देती है जो उत्तरी यमन के कतिपय क्षेत्रों का प्रशासन कर रही है;

(ग) क्या सरकार हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर और बाब–अल–मंदेब जलडमरूमध्य को अवरुद्ध करने की हाल की कार्रवाई को आतंकवादी कृत्य मानती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने हूती संगठन द्वारा भारत आने वाले जहाज़ गैलेक्सी लीड्स के हाल ही में अपहरण किए जाने पर ध्यान दिया है; और

(ङ) क्या हूती संगठन द्वारा लाल सागर और बाब–अल–मंदेब जलडमरूमध्य की घेराबंदी भारत को प्रभावित कर रही है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इसका समाधान निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) और (ख) किसी संगठन को आतंकवादी घोषित किया जाना विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत आता है और संबंधित सरकारी विभागों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी संगठन को आतंकवादी घोषित करने के संबंध में विचार किया जाता है। भारत सरकार अदन में स्थित यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को मान्यता प्रदान करती है।

(ग) से (ङ) भारत लाल सागर में नौपरिवहन की स्वतंत्रता के सिद्धांत का समर्थन करता है और उसने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है, जिससे हमारे व्यापार/वाणिज्यिक संबंध प्रभावित हो रहे हैं तथा चालक दल के जीवन और जहाजों को खतरा उत्पन्न हो रहा है। भारत इस क्षेत्र के घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रख रहा है। समुद्र में जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात किया गया है।

*****